भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1509

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूक्ष्म सिंचाई कोष के उपयोग की स्थिति

1509. श्री बी. के. पार्थसारथीः

श्री बस्तीपति नागराजूः

डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से, आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, स्वीकृत और वितरित की गई है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में एमआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और उनकी भौतिक प्रगति, उपयोग की गई धनराशि और पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या एमआईएफ के अंतर्गत कोई ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों में आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार वर्गीकृत एमआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से एमआईएफ का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) उन राज्यों में एमआईएफ के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं जहाँ इसे अपनाने की दर कम है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): आंध्र प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्यों में परियोजनाओं का ब्यौरा, स्वीकृत ऋण और वितरित राशि, भौतिक प्रगति और इन परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा, **अनुबंध** पर दी गई है।

एमआईएफ का मुख्य उद्देश्य राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के अलावा, टॉप अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु संसाधन जुटाने में सहायता प्रदान करना है। राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई की नवीन/एकीकृत परियोजनाओं के लिए एमआईएफ का भी उपयोग कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुछ राज्यों में इस स्कीम का कम उपयोग देखा गया है। पीडीएमसी स्कीम के प्रचालन दिशानिर्देशों में स्कीम के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को शामिल करने हेतु पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना हेतु 25% अधिक इकाई लागत और अन्य कम पहुँच वाले राज्यों के लिए 15% अधिक इकाई लागत का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकारों के लिए एमआईएफ के अंतर्गत उधार लेने को आकर्षक बनाने के लिए, भारत सरकार राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 2% की दर से ब्याज छूट प्रदान कर रही है, जिसकी पूर्ति प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम से की जाती है। 30 जून 2025 तक, भारत सरकार द्वारा एमआईएफ के अंतर्गत वितरित ऋणों पर ब्याज सहायता के रूप में 341.49 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एमआईएफ के अंतर्गत ऋण लेने का अनुरोध करता है।

दिनांक 29.07.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 का अनुबंध

सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) का राज्यवार परियोजनावार विवरण

(रुपये करोड़ में) (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

क्रमांक	**राज्य**	**परियोजना का प्रकार**	**स्वीकृत ऋण की राशि**	**वितरित ऋण की राशि**	**एमआई* के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र**	**स्थिति**	**समय-सीमा**
1	आंध्र प्रदेश	टॉप अप सब्सिडी	616.13	616.13	1.83	पूर्ण हो गए	2019-20 से 2020-21
2	तमिलनाडु	टॉप अप सब्सिडी	1357.93	1357.93	5.14	पूर्ण हो गए	2019-20 से 2022-23
3	हरियाणा	टॉप अप सब्सिडी और इनोवेटिव	97.74	95.78	0.413	जारी	2019-20 से 2024-25
		अभिनव (अपशिष्ट उपचारित जल के लिए एमआई)	314.3	103.97		जारी	2020-21 से 2024-25
		खेरी डिस्ट्रीब्यूटरी के कमांड क्षेत्र में एमआई)	252.08	112.066		जारी	2020-21 से 2024-25
		अभिनव (नहर कमान क्षेत्र में एमआई)	121.18	54.070		जारी	2020-21 से 2024-25
		उप कुल	785.30	365.89	0.413		
4	गुजरात	टॉप अप सब्सिडी	764.13	764.13	6.07	पूर्ण हो गए	2019-20 से 2024-25
5	पंजाब	टॉप-अप सब्सिडी और प्रदर्शन	149.65	32.13	0.11	जारी	2020-21 से 2026-27
6	उत्तराखंड	नवीन (चाय बागान)	4.807	0.57	0.0004	जारी	2021-22 से 2025-25
7	राजस्थान	टॉप अप सब्सिडी और अभिनव (डार्क ब्लॉक कवरेज और क्षमता निर्माण)	740.79	667.45	7.34	जारी	2022-23 से 2025-26
8	कर्नाटक	टॉप अप सब्सिडी	290.33	257.06	2.30	जारी	2023-24 से 2024-25
कुल			**4709.06**	**4061.31**	**23.2145**		

* एमआई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एमआईएफ की टॉपअप सब्सिडी परियोजना के माध्यम से पीडीएमसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भी शामिल है।

*****